

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय- मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

स्थान- झांसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या- 91 सन् 2017

प्रकीर्ण संख्या- सन्

रेखा कौशिक उम्र करीब ४६ वर्ष पत्नी स्व. डॉ. महावीर शरण कौशिक निवासी मुहल्ला कटरा गुरसराय थाना व पो. गुरसराय तहसील गरौठा जिला झांसी

-----याचिया।

प्रति

१. तरुण कुमार गुप्ता तनय अशोक कुमार गुप्ता निवासी ३०/अन्दर बड़ागाँव गेट झांसी, उ.प्र.

.....वाहन स्वामी वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

२. नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड इलाइट चौराहा, झांसी जरिये शाखा प्रबन्धक का. इ. क. लि. झांसी

..... बीमाकर्ता वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९ महिन्द्रा पिकप

३. रहीम खाँ तनय मन्नी खाँ निवासी कटरा

.....चालक वाहन नं. यू.पी. ७७ टी ५०८९

-----विपक्षीगण।

टिप्पणी- जो पते कि ऊपर दिये गये हैं यह पक्षकारों ने

को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

दावा अंतर्गत धारा 166 व 140 मो० व्ही० एक्ट

मुबलिग के लिए दावा ₹ 45,00,000/-

आवेदक के लिए श्री शिवकान्त शर्मा अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार 1 व 3 के लिये श्री संजय देव शर्मा अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार 2 के लिये श्री एस. बी. कनकने अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक 22.06.2020 को श्री चंद्रोदय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण झांसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतद्वारा आविष्ट किया जाता है कि

याची की याचिका विपक्षी सं. १ व ३ के विरुद्ध पृथक-पृथक व संयुक्त दायित्व के आधार पर आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹३,०१,७३४/- (तीन लाख एक हजार सात सौ चौंतीस) मय ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनांक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें। क्षतिपूर्ति की धनराशि याचिया श्रीमती रेखा कौशिक के खाते में इलेक्ट्रानिक मोड से नगद भुगतान की जाएगी।

(चंद्रोदय कुमार)

मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण

झांसी